तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज छैलूसिंह बनाम बृजेश वगै. मुकदमा नंबर 39/2025 — अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.08.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई।	

प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा खसरा नम्बर 175 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 176 तादादी 9.26 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 178 तादादी 2.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 179 तादादी 6.74 हैक्टेयर रोही मौजा लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत कर रखा हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा अनुवानी उमरावसिंह बनाम छैलूसिंह वगैराह उन्ही पक्षकारो के विरूद्ध उपरोक्त खेतो के विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया था। तात्कालीक दावा अनुवानी उमरावसिंह बनाम छैलूसिंह नम्बर मुकदमा 407/11 प्रस्तुत हुआ था। जिसे माननीय न्यायालय ने उभयपक्षो को सुनकर दिनांक 23.03.2012 को निर्णित कर डिक्री पारीत की थी। तात्कालीक दावा उमरावसिंह बनाम छैलूसिंह वगैराह के निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.03.2012 की अपील उक्त दावा के वादी छैलूराम उर्फ छैलूसिंह ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो मुकदमा अनुवानी छैलूराम उर्फ छैलूसिंह बनाम उमरावसिंह नम्बर अपील 18/17 प्रस्तुत की थी। अपील का निर्णय दिनांक 23.05.2018 को हुआ तथा वादी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील माननीय् राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा खारिज फरमा दी गई। अपील खारिज होने के बाद में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नही हुई तथा माननीय् न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.03.2012 अंतिम हो गई। वादी ने पूर्व में निर्णित दावा के तथ्यो को छुपाकर उक्त दावा फिर से माननीय् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उक्त दावा के प्रत्येक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच व्युत्पन्न अधिकारो के अधीन प्रस्तुत किया हैं, पूर्ववर्ति वाद में माननीय न्यायालय में प्रत्येक्षतः व सारतः विवाद रहा है तथा पूर्ववर्ति वाद में प्रश्नगत वाद के विवाद का विनिश्चय माननीय् न्यायालय द्वारा किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में वादी के विरूद्व उक्त दावा में पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होता है तथा उक्त दावा का विचारण माननीय् न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता, दावा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं। वादी ने उक्त दावा में पूर्ववर्ति वाद के तथ्यो व अनुतोष को छुपाकर प्रस्तुत किया हैं तथा वादगत खेतो के विवाद का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दावा जाब्ता दीवानी की आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार विधि द्वारा वर्जित हैं। ऐसी स्थिति में दावा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी/ वादी नो अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी ने वादगत खेतों के सम्बन्ध में सही रूप से विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। उमरावसिंह ने मात्र वादगत खेतों पर स्थगन आदेश प्राप्त [illegible] पत्र प्रस्तुत किया था जिससे वादी को काफी परेश[illegible] उमरावसिंह वादगत खेतों का विभाजन [illegible] वादगत खेतों के विभाजन बाबत को[illegible] स्थिति का [illegible] किया व न्यायालय श्रीमान् के निर्णय [illegible] के आदेश की कोई पालना तहसीलदार (राजस्व) श्री[illegible] से करवाई व ना ही मौका पर कोई विभाजन हुआ। वादी की अपील खारिज नहीं हुई थी बल्कि वादी ने न्यायालय श्रीमान् के निर्णय आदेश दिनांक 23.03.2012 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

बीकानेर के समक्ष की थी और अपील का निर्णय 5 साल बाद दिनांक 23.05.2018 को इस आदेश के साथ हुआ था कि न्यायालय श्रीमान् के आदेश की पालना में मौका पर काबिजानुसार विभाजन वादी की उपस्थिति में किया जावे परन्तु राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश की भी पालना राजस्व अमला द्वारा नहीं की गई। प्रतिवादीगण मात्र निर्णय व डिक्री अंतिम होने का कथन करते है परन्तु यह नहीं बता रहे है कि न्यायालय श्रीमान् के निर्णय व डिक्री के अनुसार क्या उन्होने विभाजन प्रस्ताव मंगवाया ?, क्या मौके पर विभाजन हुआ? अगर नहीं तो उक्त निर्णय व डिक्री अपने–आप में सारहीन व निरथक ही माना जावेगा क्योंकि उमरावसिंह ने उक्त दावा मात्र वादी को तंग परेशान करने के लिए ही प्रस्तुत किया गया था। वादी मौका पर वादगत खेतों का मौका पर काबिजानुसार विभाजन चाहता है। मौका पर विभाजन नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। उमरावसिंह के उक्त दावा के निर्णय से राजस्व रिकार्ड में विभाजन होना चाहिए था परन्तु ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ना ही निर्णय की कोई पालना उमरावसिंह ने करवाई। राजस्व रिकार्ड की स्थिति आज भी वैसी ही पड़ी है। प्रतिवादीगण वादी से दुर्भावना रखते है व दुर्भावना से ग्रसित होकर जानबूझकर वादगत खेतों का विभाजन नहीं करवा रहे है व पैचिदगियां उत्पन्न कर रहे है । वादी ने सहीं रूप से दावा प्रस्तुत किया है जो हर तरह से मेन्टेनेबल है। प्रतिवादीगण ने मात्र मामले को देरिना करने के आश्य से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। वादगत खेतों का अभी तक मौका पर कोई विधिवत व मौका पर काबिजानुसार विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने वादगत खेतों का विभाजन हेतु सही रूप से दावा किया है। प्रतिवादीगण वादगत खेतों का विभाजन नहीं करवाना चाहते है व प्रतिवादीगण जबाबदेही से विमुख होना चाहते है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कही भी पूर्ववर्ती वाद का अंकन नहीं किया गया है। वादी ने पूर्व में निर्णित दावा के तथ्यो को छुपाकर उक्त दावा फिर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्ववर्ति वाद में प्रश्नगत वाद के विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में वादी के विरूद्व उक्त दावा में पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होता है तथा उक्त दावा का विचारण इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता, वादी ने उक्त दावा में पूर्ववर्ति वाद कें तथ्यो व अनुतोष को छुपाकर प्रस्तुत किया हैं तथा वादगत खेतो के विवाद का निर्णय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दावा जाब्ता दीवानी कीं आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वा[illegible] स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:28:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)